



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 403125



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितिया तथा चिट्ठा
फैजाबाद (उ० प्र०)
०५
२१/०३/१९०६

ठेवलपुर मन्डल एशोलिएसन
फार हम्मन एवानसमेंट
बहराइच १३१४७
संशोधित कृष्णगढ़ १५

संघीयित सूति-पत्र

1. संस्था का नाम : डेवलपमेन्ट एसोसिएशन फाट ह्यूमन एडवाल्समेन्ट
 2. संस्था का पता : ग्राम दूरे का पुटवा देवा कुंज, मलीहा बाद रोड, पो.
 व तहसील सदर जिला बहराइच
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. मानव एकता के लिये एक मजबूत सदृशी व आत्म निर्भर समाज व राष्ट्र का निर्माण करना।
2. राष्ट्र के लिये सबलभातृ शक्ति के लिए समर्त प्रकार के युवक महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
3. सघन आवश्यकता वाले अंचलों में सामान्य उच्च व रोजगार परक तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ऐसे केंद्रों की स्थापना व संचालन करना जो शिक्षार्थियों को शिक्षित होने के साथ साथ स्वावलम्बन की ओर अभिमुख करने में सहायक सिद्ध हो सके।
4. जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी एवं लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी रचनात्मक प्रयास करना।
5. कृषि पशुपालन विज्ञान पर्यावरण व ग्रामीण पक्की व गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतों के संरक्षण संवर्धन एवं समुचित विकास हो बढ़ावा देना।



पारम्परिक लोक कलाओं व विद्याओं के संरक्षण संवर्धन व जनहित में सदृपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी प्रयास करना।
 बृद्धों विकलांगों व असहायों के सहायतार्थ कार्य करना।
 खादी ग्रामोदयों के विकास व प्रचार प्रसार करते हुये समाज को आर्थिक आत्म निर्भरता का बढ़ावा देना।
 शोष अभिलेखी करण प्रकल्पन प्रशिक्षण व गत्सावेजी करण करने के लिये केंद्रों की स्थापना व संचालन करना।
 केत्र के समग्र विकास हेतु कार्यक्रमों का सृजन व क्रियान्वयन करना।
 संस्था समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाना व प्रत्येक माध्यम से स्वेच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना।
 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय लोगों सरकारी व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आवश्यकता संसाधनों व हर प्रकार के सहयोग का आदान प्रदान करना।

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारी के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के सूति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम-पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री एस०बी०सिंह	1/13/190 सिवेल लाइन्स, फैजाबाद	अध्यक्ष	समाजकार्य
	पुत्र स्व०श्री पी०एन०सिंह			
2	सुश्री विनिका करौली	बी-३ नारायण नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-१६	उपाध्यक्ष	समाजकार्य
	पुत्री श्री बी०पी० सक्सेना			
3	डॉ० जितेन्द्र चतुर्वेदी रौरक	ग्राम अमृतपुर पौ० मधवापुर; जिला बहराइच	सचिव	सामाजिक कार्य/चिकित्सक
	श्री सीताराम			
4	श्रीमती शारदा देवी	ग्राम सिटकाना जौत केशव पौ० धरसांवा, बहराइच	उपसचिव	समाजकार्य
	पत्नी श्री हनुमान			
5	सुश्री पुष्पा देवी	ग्राम भगवान नगर, गोलहना पौ० लोलिया नगर, जिला बहराइच	कोपाध्यक्ष	गृहणी
	पुत्री श्री बृजराज मिश्र			
	श्री सीताराम मिश्र	ग्राम सिलौटा तिसई हैदर, पौ० सबलापुर, जिला बहराइच	सदस्य	शोधात्रा/समाजदेवी
	श्री शाहिद अली			
	पुत्र श्री इब्राहिम अली	ग्राम व पौ० विद्युता बाजार, जिला बहराइच	सदस्य	शिक्षक/चित्रकार

संस्था प्रभागिति
 वर्ष विवरण
 कर्म समिति, वर्षा विद्युती सुधा मिश्र
 फैजाबाद (३० प्र०)
 १८७१/१८७२
 १८७१/१८७२

6. हम निम्न हस्तांकरक्ता सूतिपत्र के अनुसार सौसायटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अनुसार संस्था को पंजीकृत कराना चाहते हैं। :-

दिनांक-

हस्ताक्षर

पुष्पा देवी

शारदा देवी

सुधा

संसोधित नियमावली

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 1. | संस्था का नाम | : | डेबलपमेटल एक्सोप्रिंटर्सन फाट ह्यूमन इंडियाप्रेस्ट |
| 2. | संस्था का पता | : | ग्राम दूबे का पुर्वग्राम सेवा कुंज, मलीहा बाद दोहा, पो. व तहसील सदर ज़िला बहाइच |
| 3. | संस्था का कार्यक्षेत्र | : | झगड़त भारत होगा। |
| 4. | संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग | | |
| | <u>आजीवन सदस्य</u> : | | जो व्यक्ति इस संस्था की कम से कम 1000/- एक हजार रुपया एक मुश्त देगा वह संस्था की आजीवन सदस्य बनाया जायेगा। |
| | <u>साधारण सदस्य</u> : | | जो व्यक्ति इस संस्था को कम से कम 51/- रुपया प्रति वर्ष देता रहेगा वह संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा। |
| 5. | <u>सदस्यता की समाप्ति</u> : | | निनालिखित कारणों से संस्था की सदस्यता समाप्त हो जायेगी। |
| | 1. | | मृत्यु हो जाने पर। |
| | 2. | | त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर। |
| | 3. | | दीवालिया या पागत घोषित होने पर। |
| | 4. | | किसी अनैतिक अपराध में दबित होने पर। |
| | | | अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। |
| | | | संरथा के विलङ्घ कोई भी कार्य किया जाना सिद्ध होने पर। |
| | | | सदस्यता शुल्क जमा न करने पर। |
| | | | लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर। |
| 6. | <u>समिति के अधीन</u> | | 1. साधारण सभा
2. प्रबंधकारिणी समिति |
| 7. | <u>साधारण सभा</u> : | | साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। |
| | गठन :- | | साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। |
| | बैठक :- | | सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी। |
| | सूचना अवधि :- | | साधारण सभा का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की उपस्थिति में मान्य होगा। |
| | कोरम :- | | संरथा का वार्षिक आय-व्यय विवरण तैयार करना। |
| | <u>अधिकार एवं कर्तव्य</u> : | 1. | संरथा के हितार्थ समस्त कार्य करना। |
| | | 2. | |

प्रबंधकारण समाज प्रतिज्ञिपि
गठन :- 
संघ नियन्त्रक
वैठक :- **कांगड़ समितिय तथा चिट्ठा**
फैजाबाद (३० प्र०)

२१/०३/१९५६

प्रदन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के बहुमत के आधार पर होगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष तथा 2 सदस्य होंगे इस प्रकार कुल संख्या-7 होगी। प्रदन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष में कम से कम $1/2$ होंगी जिसकी सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक जरूरत पड़ने पर तीन दिन पूर्व की सूचना देकर किसी समय बुलाई जा जायेगी।



V Karoli

पृष्ठा १८८ शास्त्रदा १८८

AB

सुधा
G. S.

कोरम :-

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

कार्यकाल :-

कार्य व अधिकार :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में मान्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थान कीपूर्ति चुनाव की शेष अवधि के लिये साधारण सभा के कर ली जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा जो जरूरत पड़ने पर किसी समय घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।

1. संस्था का वार्षिक आय-व्यय विवरण तैयार करना।

2. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु अन्य कार्य करना।

3. समस्त प्रकार के प्रशासनिक प्रबन्धकार्य परिवेशकीय एवं कार्यक्रमों से संबंधित अधिकार रखना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष :

1. संस्था की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. संस्था द्वारा पारित प्रस्तावों को कियान्वित करने के लिये सचिव द्वारा सूचना पत्र जारी करवाना।

3. संस्था के लिये उचित रूप संचालन व अचल संपत्ति जुटाना तथा दान चन्दा आदि एकत्र करना।

4. संस्था के पारित प्रस्तावों को कार्यान्वयन करना।

5. संस्था के सभी प्रकार के विवादों का समाधान करना।

6. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि अनुसुन्नी झगड़ों या अन्य कारण से प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर नवीन प्रबन्ध समिति का चुनाव करा ले और उक्त अवधि में मुख्य परामर्श के बौतौर कार्य करे तथा प्रशासन का कार्यभार सम्भालने के लिए अंदर चुनाव कराकर नई प्रबन्ध समिति का गठन करवायें।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समान अधिकार संस्था के उपाध्यक्ष को होगे।

उपाध्यक्ष :



सचिव:

1.

संस्था की समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्ष की अनुमति लेकर बुलाना व उनका प्रबन्ध करना।

2. संस्था के विगत वर्षों का हिसाब किताब आदि आँडिटों को पेश करना प्रगति आज्ञा तैयार करना बैलेन्स सीट बनाना और फिर प्रबन्ध कारिणी समिति की स्वीकृति से साधारण सभा की स्वीकृति देना।

3. संस्था के लिये नये वर्ष का बजट बनाना और प्रबन्धसमिति की स्वीकृति प्राप्त करना सरकार/अर्द्ध सरकार/स्वैच्छिक संस्था/कार्यालयों से ऋण दान अनुदान आदि प्राप्त करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

4. संस्था के हित में उचित रूप से चल व अचल संपत्ति जुटाना तथा दान अनुदान सहयोग राशि एवं ऋण आदि प्राप्त करना और पूर्ण व्यवस्था करना। वह समस्त संपत्ति/परिसंपत्तियों का प्रभारी होगा।

5. संस्था द्वारा जारी किये गये चेकों का गणजाता वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना सुव्यवस्थि करना एवं प्रमाणित करना।

6. संस्था द्वारा जारी किये गये चेकों पर अपने हस्ताक्षर द्वारा बैंको/निष्कासन एवं पदोन्नति आदि का कार्याधिकार रखना मुकदमों की पैरवी करना।

7. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में समस्त कार्य करना।

श्रावदा देवी

सत्य प्रतिलिपि
रूप निबन्धक
फर्म समितिया तथा चिद्रू
ફैब्रियाद (दृ० ३०)
२१/०३/२००६

V.Karoli

पुष्पादत्ती

शुद्धा